न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवन पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– अवि गर्ग आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 309 / 2019

1 अमरसिंह पुत्र सुरजाराम जाति कुम्हार साकिन 24 पी.बी.एन. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

2 जयप्रकाश } पिसरान } जाति कुम्हार साकिन वार्ड नम्बर 23 सूरतगढ़
3 रमेश } ओमप्रकाश } तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान
4 साहबराम } पिसरान } जाति कुम्हार साकिन 25 पी.बी.एन. तहसील
5 राजाराम } सतपाल } पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान

–:: बनाम ::–

– – वादीगण

1 सुरजाराम पुत्र श्री कुरड़ाराम जाति कुम्हार साकिन 24 पी.बी.एन. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

2 तुलछी देवी पत्नी सुरजाराम जाति कुम्हार साकिन 24 पी.बी.एन. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

3 सतपाल पुत्र सुरजाराम जाति कुम्हार साकिन 25 पी.बी.एन. तहसील पीलीबंगस जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

4 ओमप्रकाश पुत्र सुरजाराम जाति कुम्हार साकिन वार्ड नम्बर 23 सूरतगढ़ तहसील सुरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

5 सन्तोष पुत्री सुरजाराम पत्नी रामचन्द्र जाति कुम्हार साकिन वार्ड नम्बर 05 सूरतगढ़ तहसील सुरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

6 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा। – – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.ए. बाबत घोषणा

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री जगरजसिंह भारी अधिवक्ता	वादीगण
2. श्री दौलतराम पारिक अधिवक्ता	प्रतिवादीगण 1 ता 5
3. राज पैरोकार	प्रतिवादी संख्या 6

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 29.07.2019

वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है, कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 25 पी.बी.एन. के खाता संख्या 182 / 163 के पत्थर नम्बर 19 / 343 (42) किला नम्बर 21 / 2 की 0.126 हैक्टर पत्थर नम्बर 19 / 344 (49) किला नम्बर 1 ता 5 की 1.265 हैक्टर, पत्थर नम्बर 20 / 345 (61) किला नम्बर 1 ता 25 की 6.325 हैक्टर, पत्थर नम्बर 16 / 348 (86) किला नम्बर 1 ता 10, 12, 14, 15 की 3.289 हैक्टर कुल 11.005 हैक्टर, नहरी अनकमांड मय गैर मुमकिन खाला रास्ता खातेदारी व खाता संख्या 151 / 127 के पत्थर नम्बर 20 / 341 (104) किलानम्बर 1 ता 4, 9, 10 की 1.139 हैक्टर अनकमाण्ड मय गैर मुमकिन रास्ता खातेदारी दर्ज राजस्व अभिलेख है। नकल जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है।

प्रतिवादी संख्या 2 के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 25 पी.बी.एन. के खाता संख्या 65 / 57 के पत्थर नम्बर 18 / 342 (29) किला नम्बर 21, 22 की 0.506 हैक्टर, पत्थर नम्बर 19 / 342 (30) किला नम्बर 18 / 2, 19 ता 25 की 1.973 हैक्टर कुल 2.479 हैक्टर अनकमाण्ड मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी दर्ज राजस्व अभिलेख है नकल जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है।

लगातार 2

Scanned by CamScanner

वाद पत्र की दफा 3, 4 में वर्णित कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि है जो प्रतिवादी संख्या 1, 2 को वादीगण के दादा/पड़दादा कुरड़ाराम से प्राप्त हुई है, जिसमें वादीगण का जन्म से हक व हिस्सा निहित है। उक्त पैतृक कृषि भूमि बाबत वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य अर्सा दराज पूर्व घरू बंटवारा हो चुका है। जिसमें प्रतिवादी संख्या 5 ने अपना हक व हिस्सा वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के पक्ष में छोड़ दिया है, वह इस भूमि में अपना हक हिस्सा नही लेना चाहती है। घरू बंटवारा निम्न है :—

(क) वादी संख्या 1 अमरसिंह को घरू बंटवारा में प्राप्त भूमि :— चक 25 पी.बी.एन. के पत्थर नम्बर 20/345 (61) किला नम्बर 12/.088, 13 ता 24, 25/.240 की 3.364 हैक्टर, चक 25 पी.बी.एन. के पत्थर नम्बर 16/348 (86) किला नम्बर 1, 2, 3, 8 की 1.012 हैक्टर व चक 24 पी.बी.एन. के पत्थर नम्बर 20/341 (104) किला नम्बर 1/.180, 10/.167 रास्ता की 0.347 हैक्टर कुल 4.723 हैक्टर अनकमाण्ड मय गैर मुमकिन खातेदारी।

(ख) वादी संख्या 2, 3 जयप्रकाश — रमेश को बहिस्सा बराबर घरू बंटवारा में प्राप्त भूमि :— चक 25 पी.बी.एन. के पत्थर नम्बर 20/345 (61) किला नम्बर 1 ता 11, 12/.165, की 2.948 हैक्टर, पत्थर नम्बर 19/342 (30) किला नम्बर 18/.025, 19, 20 की 0.531 हैक्टर, पत्थर नम्बर 16/348 (86) किला नम्बर 4, 5, 9, 12 की 1.012 हैक्टर, चक 24 पी.बी.एन. के पत्थर नम्बर 20/341 (104) किला नम्बर 1/.073, 2/.171, 9/.031, 10/.073, की 0.348 हैक्टर इस प्रकार कुल 4.839 हैक्टर नहरी अनकमाण्ड मय गैर मुमकिन खातेदारी।

(ग) वादी संख्या 4 साहबराम को घरू बंटवारा में प्राप्त भूमि :— चक 25 पी.बी.एन. के पत्थर नम्बर 19/344 (49) किला नम्बर 1 ता 5 की 1.265 हैक्टर पत्थर नम्बर 19/343 (42) किला नम्बर 21/2/.126 कुल 1.391 हैक्टर पत्थर नम्बर 16/348 (86) किला नम्बर 6, 7, 14 की 0.759 हैक्टर इस प्रकार कुल 2.150 हैक्टर नहरी अनकमांण्ड मय गैर मुमकिन खातेदारी।

(घ) वादी संख्या 5 राजाराम को घरू बंटवारा में प्राप्त भूमि :— चक 25 पी.बी.एन. के पत्थर नम्बर 18/342 (29) किला नम्बर 21, 22 की 0.506 हैक्टर, पत्थर नम्बर 19/342 (30) किला नम्बर 18/.177, 21 ता 25 की 1.442 हैक्टर, चक 24 पी.बी. एन. के पत्थर नम्बर 20/341 (104) किला नम्बर 2/.082, 3/.215 (रास्ता), 4/.026, 9/.058 की 0.381 हैक्टर इस प्रकार कुल 2.329 हैक्टर नहरी अनकमाण्ड मय गैर मुमकिन खातेदारी।

(ड़) प्रतिवादी संख्या 3 सतपाल को प्राप्त भूमि :— चक 25 पी.बी.एन. के पत्थर नम्बर 16/348 (86) किला नम्बर 10/.253 हैक्टर नहरी खातेदारी।

उक्तानुसार वादीगण अपने अपने हिस्सा पर काविज काश्त है, व इसी अनुसार खातेदारी घोषणा प्राप्त करने के हकदार है।

वादीगण वाद पत्र की दफा 5 अनुसार अपनी अपनी भूमि पर काविज काश्त है व इसी अनुसार अपना खाता विभाजन करवाकर रकम राज अलग कायम करवाने के हकदार है। वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वह घरा घरू बंटवारा में वादीगण को प्राप्त भूमि राजस्व अभिलेख में वादीगण के नाम दर्ज करवा खाता अलग करवा देवे तो वे कुछ दिन तो टाल मटोल करते रहे परन्तु अब वह 5 रोज पूर्व ऐसा करने से बिल्कुल मना हो गये बस यही वाद कारण है।

प्रतिवादी संख्या 6 भू. धारक है इसलिये उसे आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। अर्जीदावा श्रीमान् न्यायालय के क्षेत्राधिकार एंव श्रवणाधिकार का है जो उचित कोर्ट फीस पर तहरीर एवं अन्दर मियाद है। लिहाजा इस्तदुआ है कि वाद वादी बाद जांच जाब्ता दिवानी निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे :—

लगातार 3

Scanned by CamScanner

(क) घोषित किया जावे कि वादीगण वाद पत्र की दफा 3 अनुसार खातेदार काश्तकार है।

(ख) वाद पत्र की दफा 5 अनुसार वादीगण का खाता तकसीम कर रकम एवं अलग की जावे।

(ग) खर्चा मुकदमा दिलाया जावे।

(घ) अन्य कोई अनुतोष जो अदालत द्वारा उचित समझे दिलाया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। वादीगण एवम् प्रतिवादीगण के मध्य लोक अदालत भावना से आपसी राजीनामा होने के कारण दिनांक 29.07.2019 को उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसको वादीगण एवम् प्रतिवादीगण द्वारा पढ़ने समझने के बाद हस्ताक्षर किये वादीगण की पहचान श्री जगराज सिंह अधिवक्ता तथा प्रतिवादीगण की पहचान श्री दौलतराम पारिक अधिवक्ता द्वारा किये जाने पर राजीनामा तस्दीक किया गया।

वादी एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में कथन किया गया कि प्रतिवादी द्वितीय पक्ष के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के 25 पी.बी.एन. के खाता संख्या 182/163 के पत्थर नम्बर 19/343 (42) किला नम्बर 21/2 की 0.128 हैक्टर पत्थर नम्बर 19/344 (49) किला नम्बर 1 ता 3 की 1.285 हैक्टर, पत्थर नम्बर 20/345 (61) किला नम्बर 1 ता 25 की 6.325 हैक्टर, पत्थर नम्बर 16/348 (86) किला नम्बर 1 ता 10, 12, 14, 15 की 3.289 हैक्टर कुल 11.028 हैक्टर, नहरी अनकमाण्ड मय गैर मुमकिन खाला रास्ता खातेदारी व खाता संख्या 151/127 के पत्थर नम्बर 20/341 (104) किलानम्बर 1 ता 4, 8, 10 की 1.139 हैक्टर अनकमाण्ड मय गैर मुमकिन रास्ता खातेदारी दर्ज राजस्व अभिलेख है।

प्रतिवादी द्वितीय पक्ष संख्या 2 के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 25 पी.बी.एन. के खाता संख्या 68/57 के पत्थर नम्बर 18/342 (29) किला नम्बर 21, 22 की 0.506 हैक्टर, पत्थर नम्बर 19/342 (30) किला नम्बर 18/2, 19 ता 25 की 1.973 हैक्टर कुल 2.479 हैक्टर अनकमाण्ड मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी दर्ज राजस्व अभिलेख है।

वाद पत्र की दफा 3, 4 में वर्णित कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि है जो प्रतिवादी द्वितीय पक्ष संख्या 1, 2 को वादीगण प्रथम पक्ष के दादा/पड़दादा पुश्तदरपुश्त से प्राप्त हुई है, जिसमें वादीगण प्रथम पक्ष का जन्म से हक व हिस्सा निहित है। उक्त पैतृक कृषि भूमि बाबत वादीगण प्रथम पक्ष व प्रतिवादीगण द्वितीय पक्ष के मध्य अर्सा दराज पूर्व घरु बंटवारा हो चुका है। जिसमें प्रतिवादी द्वितीय पक्ष संख्या 5 ने अपना हक व हिस्सा वादीगण प्रथम पक्ष व प्रतिवादीगण द्वितीय पक्ष संख्या 1 ता 4 के पक्ष में छोड़ दिया है, वह इस भूमि में अपना हक में हिस्सा नहीं लेना चाहती है। घरु बंटवारा निम्न है :–

(क) वादी प्रथम पक्ष संख्या 1 अमरसिंह को घरु बंटवारा में प्राप्त भूमि :– चक 25 पी.बी.एन. के पत्थर नम्बर 20/345 (61) किला नम्बर 12/.088, 13 ता 24, 25/.240 की 3.364 हैक्टर, चक 25 पी.बी.एन. के पत्थर नम्बर 16/348 (86) किला नम्बर 1, 2, 3, 8 की 1.012 हैक्टर व चक 24 पी.बी.एन. के पत्थर नम्बर 20/341 (104) किला नम्बर 1/.180, 10/.167 रास्ता की 0.347 हैक्टर कुल 4.723 हैक्टर अनकमाण्ड मय गैर मुमकिन खातेदारी।

(ख) वादी प्रथम पक्ष संख्या 2, 3 जयप्रकाश – रमेश को बहिस्सा बराबर घरु बंटवारा में प्राप्त भूमि :– चक 25 पी.बी.एन. के पत्थर नम्बर 20/345 (61) किला नम्बर 1 ता 11, 12/.165, की 2.948 हैक्टर, पत्थर नम्बर 19/342 (30) किला नम्बर 18/.025, 19, 20 की 0.531 हैक्टर, पत्थर नम्बर 16/348 (86) किला नम्बर 4, 5, 9, 12 की 1.012 हैक्टर, चक 24 पी.बी.एन. के पत्थर नम्बर 20/341 (104) किला नम्बर 1/.073, 2/.171, 9/.031, 10/.073 की 0.348 हैक्टर इस प्रकार कुल 4.839 हैक्टर नहरी अनकमाण्ड मय गैर मुमकिन खातेदारी।

लगातार …….. 4

Scanned by CamScanner

(ग) वादी प्रथम पक्ष संख्या 4 साहबराम को घरू बटवारा मे प्राप्त भूमि :– चक 25 पी.बी. एन. के पत्थर नम्बर 19/344 (49) किला नम्बर 1 ता 5 की 1.265 हैक्टर पत्थर नम्बर 19/343 (42) किला नम्बर 21/2/.126 कुल 1.391 हैक्टर पत्थर नम्बर 16/348 (86) किला नम्बर 6, 7, 14 की 0.759 हैक्टर इस प्रकार कुल 2.150 हैक्टर नहरी अनकमांण्ड मय गैर मुमकिन खातेदारी।

(घ) वादी प्रथम पक्ष संख्या 5 राजाराम को घरू बंटवारा में प्राप्त भूमि :– चक 25 पी.बी. एन. के पत्थर नम्बर 18/342 (29) किला नम्बर 21, 22 की 0.506 हैक्टर, पत्थर नम्बर 19/342 (30) किला नम्बर 18/.177, 21 ता 25 की 1.442 हैक्टर, चक 24 पी.बी.एन. के पत्थर नम्बर 20/341 (104) किला नम्बर 2/.082, 3/.215 (रास्ता), 4/.026, 9/.058 की 0.381 हैक्टर इस प्रकार कुल 2.329 हैक्टर नहरी अनकमाण्ड मय गैर मुमकिन खातेदारी।

(ङ) प्रतिवादी द्वितीय पक्ष संख्या 3 सतपाल को प्राप्त भूमि :– चक 25 पी.बी.एन. के पत्थर नम्बर 16/348 (86) किला नम्बर 10/.253 हैक्टर नहरी खातेदारी।

वादपत्र की दफा 3, 4 में वर्णित भूमि वादीगण प्रथम पक्ष व प्रतिवादी द्वितीय पक्ष संख्या 3 कह पैतृक सम्पत्ति है। जिसमें वादीगण प्रथम पक्ष व प्रतिवादी द्वितीय पक्ष का जन्म से हिस्सा होने के कारण प्रतिवादी द्वितीय पक्ष संख्या 3 हिस्सा है। इस भूमि में प्रतिवादी द्वितीय पक्ष संख्या 1 व 2 की कृषि भूमि हक संख्या 3 द्वितीय पक्ष का जन्म से हक व हिस्सा स्वीकार करते रहे है। इस पैतृक भूमि बाबत कुछ वर्ष पूर्व पक्षकारान के मध्य घरू बंटवारा हो चुका है। इस बंटवारा में प्रतिवादी द्वितीय पक्ष संख्या 4 व 5 कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहते है। इन्होनें अपना हिस्सा हम वादीगण प्रथम पक्ष के पक्ष में छोड़ दिया है। यदि वादीगण प्रथम पक्ष का दावा डिक्री किया जाता है, तो गिन प्रतिवादीगण द्वितीय पक्ष को कोई आपत्ति व एतराज नहीं होगा।

वादीगण प्रथम पक्ष व प्रतिवादीगण द्वितीय पक्ष नें उक्त राजीनामा बदरूस्ती होश हवास बिना किसी नशा पता के बिना किसी दबाव व बहकाव के लिखवा दिया है। अतः राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है, कि वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री फरमाया जावे।

स्टेट की और से पैरोकार राज द्वारा वाद पत्र का मदवार जबाब प्रस्तुत कर कथन किया कि राज्य हित को सुरक्षित रखते हुए प्रकरण का निस्तारण किया जावे।

प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य राजीनामा होनें पर किसी प्रकार का प्रतिवादी नहीं होनें के कारण प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं होनें से उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई दौरानें बहस विद्वान अधिवक्तागणों नें वाद एवम् राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए वाद का निर्णय कर डिक्री जारी करनें हेतु निवेदन किया।

इस सम्बंध में आर.आर.डी. 1981 पेज 512 आर.टी.ए. की धारा 40–53, 38–39–40, आर.आर.डी. 1966 पेज 71 ए.आई.आर. 1976 (एससी) पेज 807 व 178 आर.आर.डी. पेज 219 आर.आर.डी. 1975–478, ए.आई.आर.1966 (एस.सी.) 432 आर.आर.डी. 1975 पेज 489 की नजीर प्रस्तुत करते हुए आर.टी.ए. की धारा 53 की भी व्याख्या करते हुए कथन किया कि आपसी समझौते या अदालत के आदेशानुसार बंटवारा किया जा सकता है।

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड आफ रेवेन्यू) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवम् आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौता के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के पत्रांक प.5(1)राज/6/97/10 दिनांक 08.09.1997 के अनुसार सह कृषकों में जोत के विभाजन की सहमती हो जाये तो ऐसी सहमती के आधार पर डिक्री की जा सकती है। हिन्दु उत्तराधिकार विधि के अनुसार पुत्र को अपनें पिता की पैतृक सम्पति में जन्म से ही अधिकार है। इसलिये पुत्र अपनें पिता की पैतृक सम्पति में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करवा सकता है।

लगातार 5

Scanned by CamScanner

ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 807 के अनुसार यदि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो भी माननीय उच्चतम न्यायालय नें पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखाधड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो. पारिवारिक समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।

हमने वादी एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत न्यायायिक दृष्टान्त का सम्मान अध्यन्न किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि वाद पत्र में वर्णित आराजी जो प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज राजस्व अभिलेख है वह जद्दी जायदाद होने के कारण उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के अनुसार लोक अदालत की भावना से वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

–:: आदेश ::–

वादी एवम् प्रतिवादीगण के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन करने तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गय राजीनामा के अनुसार वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर डिक्री जारी की जाती है, कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88. के अन्तर्गत वाद में वर्णित प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज कृषि भूमि में से वादी संख्या 1 अमरसिंह को 4.723 हैक्टर वादी संख्या 2 जय प्रकाश व वादी संख्या 3 रमेश को बहिस्सा बराबर 4.839 हैक्टर, वादी संख्या 4 साहबराम को 2.150 हैक्टर वादी संख्या 5 राजाराम को 2.329 हैक्टर, तथा प्रतिवादी संख्या 3 सतपाल को 0.253 हैक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53. के अन्तर्गत निम्नानुसार विभाजन किया जाता है :–

1. वादी सख्या 1 अमरसिंह पुत्र सुरजाराम जाति कुम्हार साकिन 24 पी.बी.एन. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान के हक हिस्सा की भूमि :– चक 25 पी.बी.एन. के पत्थर नम्बर 20/345 (61) किला नम्बर 12/.088, 13 ता 24, 25/.240 की 3.364 हैक्टर, चक 25 पी.बी.एन. के पत्थर नम्बर 16/348 (86) किला नम्बर 1, 2, 3, 8 की 1.012 हैक्टर व चक 24 पी.बी.एन. के पत्थर नम्बर 20/341 (104) किला नम्बर 1/.180, 10/.167 रास्ता की 0.347 हैक्टर कुल 4.723 हैक्टर अनकमाण्ड मय गैर मुमकिन खातेदारी।

2. वादी संख्या 2 जयप्रकाश तथा वादी संख्या 3 रमेश पुत्रान औमप्रकाश जाति कुम्हार साकिन वार्ड नम्बर 23 सूरतगढ तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान के हक हिस्सा की भूमि :– चक 25 पी.बी.एन. के पत्थर नम्बर 20/345 (61) किला नम्बर 1 ता 11, 12/.165, की 2.948 हैक्टर, पत्थर नम्बर 19/342 (30) किला नम्बर 18/.025, 19, 20 की 0.531 हैक्टर, पत्थर नम्बर 16/348 (86) किला नम्बर 4, 5, 9, 12 की 1.012 हैक्टर, चक 24 पी.बी.एन. के पत्थर नम्बर 20/341 (104) किला नम्बर 1/.073, 2/.171, 9/.031, 10/.073, की 0.348 हैक्टर इस प्रकार कुल 4.839 हैक्टर नहरी अनकमाण्ड मय गैर मुमकिन खातेदारी।

6 वादी संख्या 4 साहबराम पुत्र सतपाल जाति कुम्हार साकिन 25 पी.बी.एन. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान के हक हिस्सा की भूमि :– चक 25 पी.बी.एन. के पत्थर नम्बर 19/344 (49) किला नम्बर 1 ता 5 की 1.265 हैक्टर पत्थर नम्बर 19/343 (42) किला नम्बर 21/2/.126 कुल 1.391 हैक्टर पत्थर नम्बर 16/348 (86) किला नम्बर 6, 7, 14 की 0.759 हैक्टर इस प्रकार कुल 2.150 हैक्टर नहरी अनकमांण्ड मय गैर मुमकिन खातेदारी।

लगातार 6

Scanned by CamScanner

7 वादी संख्या 5 राजाराम पुत्र सतपाल जाति कुम्हार साकिन 25 पी.बी.एन. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान के हक हिस्सा की भूमि :– चक 25 पी.बी.एन. के पत्थर नम्बर 18/342 (29) किला नम्बर 21, 22 की 0.506 हैक्टर, पत्थर नम्बर 19/342 (30) किला नम्बर 18/.177, 21 ता 25 की 1.442 हैक्टर, चक 24 पी.बी. एन. के पत्थर नम्बर 20/341 (104) किला नम्बर 2/.082, 3/.215 (रास्ता), 4/.026, 9/.058 की 0.381 हैक्टर इस प्रकार कुल 2.329 हैक्टर नहरी अनकमाण्ड मय गैर मुमकिन खातेदारी।

8 प्रतिवादी संख्या 3 सतपाल पुत्र सुरजाराम जाति कुम्हार साकिन 25 पी.बी.एन. तहसील पीलीबंगस जिला हनुमानगढ़ राजस्थान के हक हिस्सा की भूमि :– चक 25 पी.बी.एन. के पत्थर नम्बर 16/348 (86) किला नम्बर 10/.253 हैक्टर नहरी खातेदारी।

आदेशानुसार डिक्री जारी हो। तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि के सम्बंध में निम्न बिन्दुओं की पूर्ण जांच कर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे :–

1. वाद पत्र में वर्णित भूमि के सम्बंध में वर्तमान में किसी अन्य न्यायालय में कोई वाद/स्थगन तो विचाराधीन नहीं है।
2. वाद पत्र में वर्णित भूमि के सम्बंध में किसी भी प्रकार का कोई बकाया ना हो भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त हो।
3. वाद पत्र में वर्णित भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16, विशेष आवंटन/सीलिंग अधिनियम से प्रभावित न हो।
4. वाद में वर्णित भूमि गैर खातेदार/रकबा राज ना हो
5. वाद पत्र में वर्णित भूमि पर उभयपक्ष के कब्जा सम्बंधी पूर्ण जांच करें।
6. वाद पत्र में वर्णित भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/रास्ता/खालां) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 29.07.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल अग्रवाल)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर
पीलीबंगा

Scanned by CamScanner